मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 13/07/2021.

क्रमांक एफ 17-17/2021/38-1 - श्री अब्दुल खालिक पठान, प्रयोगशाला परिचारक, एस.टी.पी. शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, देवास के विरूद्ध मारपीट संबंधी प्रकरण में अपराध क्रमांक 210024/11 दर्ज होने से तथा जिला जेल में 48 घण्टे से अधिक निरूद्ध रहने के कारण प्राचार्य, एस.टी.पी. शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के आदेश दिनांक 10.10.2018 द्वारा निलंबित किया गया।

2/ श्री अब्दुल खालिक पठान के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण में माननीय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) देवास के आदेश दिनांक 27.09.2018 द्वारा श्री अब्दुल खालिक पठान को दोषी पाने से भादवि की धारा 147 के अंतर्गत 03 माह का कारावास, धारा 326/149 के अंतर्गत 5-5 वर्ष एवं धारा 324/149 के अंतर्गत 2-2-2 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है।

3/ श्री अब्दुल खालिक पठान द्वारा सजा के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में मान.उच्च न्यायालय, बैंच इंदौर के आदेश दिनांक 04.12.2018 द्वारा सजा पर स्थगन दिया गया है।

4/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 6-2/98/3/1, दिनांक 08 फरवरी, 1999 में शासकीय सेवक को न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध पाए जाने पर सेवा से पदच्युत करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त कंडिका 2(क)2. में यह भी निर्देशित है कि उक्त प्रकार के प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 19 सहपठित नियम 14 एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(अ) के अंतर्गत अपचारी शासकीय सेवक के विरूद्ध विस्तृत विभागीय जांच आवश्यक नहीं है, साथ ही संबंधित शासकीय सेवक को कार्यवाही के पूर्व कोई सूचना देना भी आवश्यक नहीं है। अर्थात दण्डादेश सीधे पारित एवं जारी किया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त निर्देश की कण्डिका 2(क)5. में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि संबंधित शासकीय सेवक ने अपनी

दोष सिद्धि के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में "अपील" की है और अपीलीय न्यायालय ने दोष सिद्धि को "स्थगन" न देकर मात्र "सजा" से स्थगित किया है तो भी उक्तानुसार शास्ति अधिरोपित की जा सकती है।

5/ श्री अब्दुल खालिक पठान को मान. विशेष न्यायालय, देवास द्वारा सजा से दण्डित किया गया है तथा अपील न्यायालय द्वारा मात्र सजा पर स्थगन दिया गया है, दोष सिद्धि पर नहीं। श्री अब्दुल खालिक पठान का कृत्य आचरण नियमों के विपरीत होने से राज्य शासन एतद् द्वारा श्री अब्दुल खालिक पठान,प्रयोगशाला परिचारक, एस.टी.पी. शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, देवास को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 6-2/98/3/1, दिनांक 08 फरवरी, 1999 के परिप्रेक्ष्य में सेवा से पदच्युत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

13-7-21

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 13/07/2021.

पृ.क्रमांक एफ 17-17/2021/38-1

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. जिला कोषालय, देवास।
6. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन ।
7. प्राचार्य, एस.टी.पी. शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, देवास।
8. श्री अब्दुल खालिक पठान, प्रयोगशाला परिचारक, एस.टी.पी. शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, देवास।

13-7-21

अवर सचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग